बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242160 (फैक्स)
email: dm- siwan.bih@nic.in

–: आदेश :–

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 298/अ0मु0स0 को दिनांक 03.05.2020 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को आदेश संख्या–40–03/2020–DM-1(A) दिनांक 01.05.2020 के द्वारा कोविड–19 का प्रसार रोकने हेतु दिये गये निर्देश तथा आगामी कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों/व्यक्तियों/छात्रों की बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि इस जिले में लॉकडाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किया जाय।

भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश की कंडिका–10 में निम्नांकित प्रावधान किया गया है कि :–

"All other activities will be permitted activities, which are not specifically prohibited/permitted with restrictions in the various Zones, under these guidelines. However, States/UTS, based on their asesment of the situation, and with the primary objective of keeping the spread of COVID-19 in check, may allow only select activities from out of the permitted activities, with such restrictions as filt necessary."

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06/02/2020–304/अ0मु0स0को0 दिनांक 10.05.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में इन निम्नलिखित प्रतिष्ठान एवं दुकान खोलने का आदेश दिया जाता है :–

अतः उपरोक्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1310/सी0 दिनांक 07.05.2020 में निर्गत निदेश के अतिरिक्त निम्नांकित व्यवसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार खोलने का निदेश **इस शर्त्त के साथ दिया जाता है कि कोविड–19 के मद्देनजर व्यवसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:–**

क्र0सं0	संबंधित प्रतिष्ठान/दुकान	समय का निर्धारण	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	कृषि से संबंधित उद्योग/ प्रतिष्ठान/ दुकान (खाद, बीज, सिंचाई, farm machinery, equipment, Processing plants)	07.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक	सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगे।
2	ऑटोमोबाईल (चारपहिया, दोपहिया वाहनों यथा–साईकिल, मोटरसाईकिल, ट्रैक्टर सहित) विक्री के शो–रूम।	07.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक	मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खुलेंगे।

3	ऑटोमोबाईल (चारपहिया, दोपहिया वाहनों यथा–साईकिल, मोटरसाईकिल, ट्रैक्टर सहित) मरम्मति के प्रतिष्ठान।	07.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक	प्रतिदिन

किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सेवा, Valid Pass एवं भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा Exempted वाहनों, सभी मालवाहक वाहनों को छोड़कर तथा कर्त्तव्य पालन हेतु सरकारी कर्मी (परिचय पत्र देखकर) के वाहनों को छोड़कर शेष सभी वाहनों (चार पहिया/तीन पहिया/दो पहिया) का परिचालन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सभी वाहनधारी मोटरवाहन अधिनियम के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा उपर्युक्त समय–सारिणी के अनुसार संबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए खोलवाने की व्यवस्था करें। उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन की स्थिति में दुकानदारों/प्रतिष्ठानों के मालिकों के विरूद्ध The Epidemic Diseases Act, 1897 एवं Disaster Management Act, 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि–सम्मत कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त आदेश इस जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू रहेगा तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

ह0/–

जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञापांक 1372 /सी0, सीवान दिनांक– 12 वीं मई, 2020 ई0

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्ता, सीवान/उप विकास आयुक्त, सीवान/अनुमण्डल पदाधिकारी सीवान/महाराजगंज/ सिविल सर्जन, सीवान/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी/ थानाध्यक्ष, जिला–सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/5/2020

जिलाधिकारी, सीवान